



<p>तारीख हुक्म</p>	<p>दिनांक 35/19 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मज</p>
<p>29 <sup>7</sup>/<sub>2021</sub></p>	<p>आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/ दोरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनांक 20-8-2021 को पेश हों।</p>
<p>20 <sup>8</sup>/<sub>2021</sub></p>	<p>आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/ दोरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनांक 1-10-2021 को पेश हों।</p>
<p>1 <sup>10</sup>/<sub>2021</sub></p>	<p>आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/ दोरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनांक 10-11-2021 को पेश हों।</p>
<p>10 <sup>11</sup>/<sub>2021</sub></p>	<p>आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/ दोरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनांक 17-12-2021 को पेश हों।</p>
<p>17 <sup>12</sup>/<sub>2021</sub></p>	<p>वकील पार्ची उच्च न्यायालय के पत्रावली दिनांक 5-1-2022 को पेश है।</p>
<p>5 <sup>1</sup>/<sub>2022</sub></p>	<p>पत्रावली पेश हुई। पार्ची व पार्ची के अधिवक्ता को बार बार आवेदन दिए गए हैं। पुनः बार बार आवेदन दिए गए हैं। बार बार आवेदन दिए जाने के बाद भी पार्ची व पार्ची के अधिवक्ता में से कोई उपास्वयत नहीं हो पाया है। पार्ची को प्रो. वरुण कुमार मिश्रा द्वारा अग्रिम होकर अधिम पेशी में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली के सल. शुमार होकर नम्बर केस होकर शुरू के साथ लोकार्पण रहे।</p>

सहायक कलक्टर  
जिला दिसा

